



पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023

राज्य योजना के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023" द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को वित्तीय सहायता एवं समान अवसर प्रदान करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे वे अपने शिक्षा पूर्ण करने में समर्थ हो सकें।

कार्यक्षेत्र :-

योजना अंतर्गत ये छात्रवृत्तियाँ बिहार राज्य के स्थायी निवास करने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं के लिए केवल राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपलब्ध होगी। राज्य के बाहर अवस्थित केन्द्रीय एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राएं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

अर्हता :-

1. बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक की जाति पिछड़ा वर्ग अथवा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत होना चाहिए।
3. पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा जिनका स्वयं की आय सहित माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय ₹0 3,00,000/- मात्र से अधिक नहीं हो, इस स्कीम के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।
4. आवेदक राज्य के अंदर अवस्थित सरकारी संस्थानों/मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हो।

छात्रवृत्ति की देय राशि :-

(क) राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को उक्त सरकारी शिक्षण संस्थान में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर छात्रवृत्ति राशि अनुमान्य किया जायेगा।

(ख) राज्य के अंदर अवस्थित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में संचालित कोर्सों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति (अधिकतम सीमा ₹0 15,000/- के अन्तर्गत) पाठ्यक्रम / कोर्स के अनुसार निम्नवत् दिया जायेगा:-

क्र० सं०	कोर्स की विवरणी	छात्रवृत्ति की राशि की अधिकतम वार्षिक सीमा (देय शिक्षण शुल्क+अनिवार्य शुल्क या निम्न निर्धारित राशि, दोनों में जो न्यूनतम हो)
1.	विभिन्न +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट कक्षा यथा-आई0ए0/आई0एस0सी0/आई0कॉम0 एवं अन्य समकक्ष कोर्स	₹0 2,000/-
2.	स्नातक स्तरीय कक्षा यथा-बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0कॉम0 एवं अन्य समकक्ष कोर्स	₹0 5,000/-
3.	स्नातकोत्तर कक्षा यथा-एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0कॉम0 एवं अन्य समकक्ष कोर्स	₹0 5,000/-
4.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	₹0 5,000/-
5.	त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम/पॉलिटेक्निक एवं समकक्ष कोर्स	₹0 10,000/-
6.	व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान के अधीन संचालित कोर्स-इंजीनियरिंग/मेडिकल/विधि/प्रबंधन/कृषि एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	₹0 15,000/-

(ग) राज्य के अंदर अवस्थित केन्द्रीय सरकारी संस्थानों तथा स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर निम्नरूपेण अनुमान्य किया जायेगा-

क्र० सं०	कोर्स की विवरणी (बिहार राज्य के अंदर अवस्थित संस्थान)	छात्रवृत्ति की राशि की अधिकतम वार्षिक सीमा (देय शिक्षण शुल्क+अनिवार्य शुल्क या निम्ननिर्धारित राशि, दोनों में जो न्यूनतम हो)
1.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोधगया	₹0 75,000/-
2.	अन्य प्रबंधन संस्थान यथा-चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान आदि	₹0 4,00,000/-
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), पटना	₹0 2,00,000/-
4.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), पटना	₹0 1,25,000/-
5.	अन्य केन्द्रीय संस्थानों यथा-राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (NIFT), पटना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना केन्द्रीय कृषि संस्थान आदि	₹0 1,00,000/-
6.	स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी	₹0 1,25,000/-

★ छात्रवृत्ति राशि के अंतर्गत उपर्युक्त (शिक्षण शुल्क+ अनिवार्य शुल्क) के अतिरिक्त समय समय पर अनुरक्षण भत्ता एवं अन्य भत्ता नियमानुसार देय होगा।

आवेदन की प्रक्रिया :-

➤ आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन लेते हुए सत्यापन की कार्रवाई की जायेगी।

क्रियान्वयन एजेंसी :-

➤ योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग, बिहार के माध्यम से किया जायेगा। क्रियान्वयन एजेंसी के द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम के तहत छात्रवृत्ति भुगतान DBT के माध्यम से राशि को सीधे लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरण सुनिश्चित किया जायेगा।



निदेशक,
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।